

विषय: प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए माँयल शिष्यवृत्ति

प्रबंधन एक नई योजना “प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए माँयल शिष्यवृत्ति” शुरू करके हर्षित है। योजना को उनके अकादमिक प्रदर्शन के आधार पर माँयल कर्मचारियों के बुद्धिमान पुत्र /पुत्रियों के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने साथ ही साथ उनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए स्थापित की गयी है।

(क) मानदंड निम्नानुसार हैं:

- 1) योजना का नाम है “प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए माँयल शिष्यवृत्ति”।
- 2) इस योजना की शुरुआत 1995-96 के शैक्षणिक वर्ष से की गई है।
- 3) यह योजना केवल माँयल के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के लिए लागू है।
- 4) यह योजना उन लोगों पर लागू होती है, जो पहले प्रयास में, निर्धारित सभी विषयों में उत्तीर्ण होते हैं।
- 5) यह योजना उन लोगों के लिए लागू नहीं है जो या तो रोज़गार कर रहे हैं या व्यवसाय में कार्यरत हैं या किसी कर्मचारी की विवाहित बेटियों के लिए काम कर रहे हैं।
- 6) योजना के अनुसार श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक वर्ष केवल 12 छात्रवृत्तियां, 8 एसएससी(10वीं के विद्यार्थी) और 4 एचएससी(12वीं के विद्यार्थी) के लिए प्रदान की जाएंगी।
- 7) यदि कोई योग्य विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है, तो उपनियम 6 के अनुसार उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए उस वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- 8) शिष्यवृत्ति की राशि रु.500/- प्रति माह, देय त्रैमासिक, बकाया राशि में होगी।
- 9) जब तक शिष्यवृत्ति प्राप्तकर्ता के माता-पिता में से कोई एक माँयल में कार्यरत रहेगा, तब तक शिष्यवृत्ति की राशि का भुगतान जारी रहेगा।
- 10) एक बार प्रदत्त शिष्यवृत्ति राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र(आईटीआई)/डिप्लोमा/डिग्री की परीक्षा के साथ समाप्त होने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए देय होगा बशर्ते प्राप्तकर्ता पहले प्रयास में, सभी विषयों में, प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री की ओर अग्रसर हो।
- 11) शिष्यवृत्तिधारी द्वारा पढ़ाई बंद करने के साथ ही शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने का निर्णय रद्द हो जाएगा।

12) जिस उम्मीदवार को “प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए माँयल शिष्यवृत्ति” प्रदान करने लिए पात्र ठहराया गया है, अपने संस्था प्रमुख के माध्यम से उसे माँयल प्रबंधन को सूचित करना होगा कि उसने इस संस्था में दाखिला लिया है।

13) शिक्षण के माध्यम का कोई बंधन नहीं है।

14) इस योजना की समीक्षा हर साल इसकी प्रस्तावना के साथ की जाएगी और प्रबंधन, योजना को संशोधित करने और / या पूरी तरह से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जब यह देखा जाता है कि यह उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, जिसके लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) योग्यता: जो वर्ष की पहली छमाही में और पहले प्रयास में आयोजित निम्नलिखित परीक्षा पास करते हैं। एसएससी या इसकी समकक्ष परीक्षा में कुल 60% अंकों के साथ। एचएससी / नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (किसी भी ट्रेड/ इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एचएससी या इसकी समकक्ष परीक्षा में कुल 60% अंकों के साथ। और इंजीनियरिंग या मेडिकल (एमबीबीएस) में डिग्री कोर्स के लिए किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान से उसकी आगे की पढ़ाई का अनुसरण:

(ग) प्रक्रिया:

1) हर साल जून / जुलाई के महीने में या एस.एस.सी. और एच.एस.सी. के परिणाम की घोषणा के बाद, नागपुर में कॉर्पोरेट कार्यालय में इकाइयों के प्रमुख और कार्मिक विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। खदान से प्राप्त आवेदकों को महाप्रबंधक (कार्मिक) को खदान प्रबंधकों द्वारा विधिवत जांच और सत्यापित किया जाएगा। अपने बच्चों के संबंध में कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी संलग्न अनुबंध-I के प्रारूप में होगी।

2) कंपनी से शिष्यवृत्ति की राशि का दावा करने के लिए संबंधित कर्मचारी का पाल्य विभाग के प्रमुख / खान के माध्यम से जहां उसके माता/पिता कार्यरत हैं, अनुबंध-II के रूप में संलग्न प्रारूप में महाप्रबंधक (कार्मिक) को संबोधित एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। अपने आवेदन के साथ, उन्हें अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न प्रारूप में उनके प्रदर्शन के बारे में कॉलेज / संस्थान के प्रमुख का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3) एक बार प्रदत्त शिष्यवृत्ति राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र(आईटीआई)/डिप्लोमा/डिग्री की परीक्षा के साथ समाप्त होने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए देय होगा बशर्ते प्राप्तकर्ता पहले प्रयास में, सभी विषयों में, प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री की ओर अग्रसर हो। अध्ययन के दौरान पुरस्कृत व्यक्ति को उच्च दक्षता रखनी होगी। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें

अनुलग्नक- IV के रूप में संलग्न प्रारूप में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में कॉलेज / संस्थान के प्रमुख से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

(घ) सिवाय: इस योजना से संबंधित किसी भी मामले के लिए, प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।